FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रिछपाल वगै0 बनाम मूलचन्द वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 26 \ सन् 2023 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-2023	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री अरूण कुमार शर्मा** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 249, 251, 935 किता 3 रकबा 4.42 हैक्ट. अवस्थित ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोड़ावास तहसील नीमकाथाना के विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अ[illegible] है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जा[illegible] अ[illegible]र्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जा[illegible] पत्रावली दिना[illegible].04.2023 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/2/24 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/3/24 को पेश हो। uday

व. सहायक

6/3/24 वकुलाय उप। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है। अप्रार्थी सं. 2 की तामील जरिये रजि. डाक लेने से मना की प्राप्त हुयी है। अप्रार्थी सं. 5 बावजूद तामील अनुप। अतः अप्रार्थी सं. 2 व 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 20/3/24 को पेश हो।

20/3/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार [illegible] 26/3/24 को पेश हो।

26/3/24 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उप। पूर्व में जवाब पेश हो चुका है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/3/24 को पेश हो।

28/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वाआदेशानुसार दिनांक 3/4/24 को पेश हो। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से [illegible] [illegible] उपस्थित [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] पेश किया।

3/4/24 पत्रावली [illegible]
P.O. [illegible]
होने से पत्रावली पूर्वाआदेशानुसार दिनांक 15/5/24 को पेश हो।

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बनाम

मिसल मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब पेश नही करना चाहते है। वकुलाय उभय पक्षों के बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। विभाजन प्रस्ताव अभी प्राप्त नही हुआ है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी. आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 249, 251, 935 कुल किता 03 कुल रकबा 4.42 हैक्ट. अवस्थित ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना के किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तथा पूर्व में दिनांक 06.04.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2024.07.16 16:37:10 IST Reason: SelfAttested (राजवीर सिंह यादव) ...कारी उपख... नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner